



दिनांक 03.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 04 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा आज दिनांक: 03.10.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान दिनांक: 30.09.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी **डॉ० जी०के० गोस्वामी** अपर पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक उ०प्र० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइंस लखनऊ, **श्री कमला प्रसाद यादव** पुलिस उपमहानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० लखनऊ एवं **श्री पंकज कुमार पाण्डेय** पुलिस अधीक्षक पीएसी मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान **श्री राजीव मल्होत्रा**, पुलिस उपमहानिरीक्षक/अतिरिक्त निदेशक, उ०प्र० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइंस लखनऊ द्वारा अपने संबोधन में डॉ० जी०के० गोस्वामी जी के साथ UPSIFS में बिताये गये अपने सेवाकाल से सम्बन्धित संस्मरणों को साझा किया गया तथा सेवाकाल के दौरान किये गये कार्यों की सराहना करते हुये कहा गया कि गोस्वामी सर द्वारा अपनी दूरदर्शिता एवं विजन के साथ UPSIFS को आज विश्व स्तरीय संस्थान बनाने में अथक मेहनत, पूर्ण मनोयोग व ईमानदारी के साथ कार्य किया गया, जिसका परिणाम है कि आज इस संस्थान में लगभग 450 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं तथा संस्थान द्वारा निरंतर पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही श्री राजीव मल्होत्रा द्वारा श्री कमला प्रसाद यादव एवं श्री पंकज कुमार पाण्डेय के साथ बिताये गये अपने सेवाकाल से सम्बन्धित संस्मरणों को साझा करते हुये सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

डॉ० जी०के० गोस्वामी जी द्वारा अपने संबोधन में पुलिस विभाग में अपनी नियुक्तियों के दौरान के महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुये पुलिस विभाग के सम्पूर्ण कार्यकाल को ऐतिहासिक धरोहर बताया तथा कहा कि पुलिस विभाग की सफलता पूर्वक सेवा में माता-पिता, वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहयोगियों का योगदान रहा। अन्त में अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक उ०प्र० सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री कमला प्रसाद यादव जी ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग में सेवारत रहना मेरे लिये गौरव की बात रही। जिसमें रहते हुये जनता की सेवा करने का मौका मिला, जनता की सेवा के लिये किसी इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। अंत में अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक उ०प्र० सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री पंकज कुमार पाण्डेय जी ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग में कार्य करना मेरे लिये सौभाग्य की बात रही। पुलिस विभाग में कार्य करते हुये जनता की सेवा करने में सुखद अनुभूति हुयी तथा अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में उच्चाधिकारियों एवं सहयोगियों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। अंत में अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक उ०प्र० सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा कार्यक्रम के अन्त में अपने संबोधन में डॉ० जी०के० गोस्वामी जी द्वारा कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों एवं कम समय में UPSIFS को इतनी अधिक उचाईयों तक ले जाने के लिये सराहना की गयी। साथ ही अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले श्री कमला प्रसाद यादव जी एवं श्री पंकज कुमार पाण्डेय जी के बारे में अपने संबोधन में उनके कार्यकाल की प्रशंसा की गयी तथा अंत में सभी अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

डॉ० जी०के० गोस्वामी जी का जन्म 06 सितम्बर 1965 को जनपद मेरठ में हुआ था। वर्ष 1997 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, रेलवे लखनऊ, एटीएस लखनऊ, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना मेरठ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद इटावा, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएससी मेरठ एवं 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2012 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये एवं यहीं पर रहते हुये वर्ष 2022 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत हुये। अपर पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक, उ०प्र० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के पद पर नियुक्त रहते हुये दिनांक:30.09.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये।

डॉ० जी०के० गोस्वामी जी निष्ठावान, योग्य, कर्मठ एवं सरल स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं जिनका 28 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

डॉ० जी०के० गोस्वामी जी को दिनांक:18.10.2002 को वीरता के लिये पुलिस पदक, गणतन्त्र दिवस 2013 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, दिनांक: 05.11.2013 को वीरता के लिये पुलिस पदक का प्रथम बार, दिनांक: 15.08.2016 को वीरता के लिये पुलिस पदक का द्वितीय बार, स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० का प्रशंसा चिन्ह (गोल्ड) एवं स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० का प्रशंसा चिन्ह (प्लेटिनम) से सम्मानित किया गया।

श्री कमला प्रसाद यादव जी का जन्म 08 सितम्बर 1965 को जनपद जौनपुर में हुआ था। वर्ष 1994 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक जनपद बलिया, ललितपुर, देवरिया, बलरामपुर, जालौन, बरेली, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, पुलिस उपाधीक्षक बॉर्डर पुलिस बहराइच, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० लखनऊ एवं सहायक सेनानायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पूर्वी आगरा एवं अपर पुलिस अधीक्षक पावर कॉर्पोरेशन लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2019 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त सेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी एवं पुलिस अधीक्षक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2025 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांक: 30.09.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये।

श्री कमला प्रसाद यादव जी मृदुभाषी, कार्यकुशल एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। जिनका 30 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री पंकज कुमार पाण्डेय जी का जन्म 22 सितम्बर 1965 को जनपद मैनपुरी में हुआ था। वर्ष 1999 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बरेली, मऊ, मुरादाबाद, हमीरपुर, पुलिस उपाधीक्षक, पीटीसी सीतापुर, मण्डलाधिकारी अभिसूचना अलीगढ़ एवं सहायक सेनानायक 09वीं वाहिनी पीएसी(एसपीएफ) मुरादाबाद के पद पर

नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक(नगर) अलीगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध) अलीगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) बुलन्दशहर, अपर पुलिस अधीक्षक संभल, आजमगढ़, उप सेनानायक 09वीं वाहिनी पीएसी(एसपीएफ) मुरादाबाद एवं उप सेनानायक, 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2021 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ, सेनानायक 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के पद पर नियुक्त रहे। पुलिस अधीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त रहते हुये दिनांक:30.09.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये।

श्री पंकज कुमार पाण्डेय जी लगनशील एवं सरल स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। जिनका 26 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

स्वतन्त्रता दिवस 2021 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, दिनांक: 13.01.2023 को उत्कृष्ट सेवा पदक, गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), दिनांक:30.03.2023 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।









दिनांक 03.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 05 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर द्वारा देहरादून से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 10 किलो 104 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये) बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 03 सक्रिय तस्कर (1) नसीब पुत्र दिलबारा सिंह निवासी ग्राम बसारा तहसील मूणक जिला संगरूर, पंजाब (2) अरुण कुमार पुत्र मुन्नीलाल मण्डल निवासी सदोवाल जिला बरनाला राज्य पंजाब (3) जिला खाँ पुत्र चन्दकी निवासी ग्राम बसारा तहसील मूणक जिला संगरूर, पंजाब को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से 10 किलो 104 ग्राम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये), 01 अदद टाटा ट्रक, 04 अदद मोबाइल फोन व 4,250/- रुपये नगद बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में मु0अ0सं0 482/2025 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछा गया तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह अफीम गिरफ्तार अरुण के कहने पर वह व उसके पार्टनर जिला खाँ के साथ मिलकर मन्दसौर राज्य मध्यप्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति से ली थी। उसे व उसके हेल्पर को यह अफीम 05 हजार रुपये प्रतिकिलो देना तय हुआ था इससे ज्यादा उसे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में ट्रक के मालिक को कोई जानकारी नहीं है कि भाड़े की आँड़ में वह लोग अफीम सप्लाई का काम भी करते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर जो डोडा का प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से उसकी जान पहचान एक व्यक्ति से हुई थी जो मन्दसौर का रहने वाला है, वही इसे अफीम देता है और आज पंजाब में बेचना था, तभी आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. नसीब पुत्र दिलबारा सिंह निवासी ग्राम बसारा तहसील मूणक, सदरसंगरूर जिला संगरूर, पंजाब।
2. अरुण कुमार पुत्र मुन्नीलाल मण्डल निवासी सदोवाल, तल्लेवाल, जिला बरनाला राज्य पंजाब।
3. जिला खाँ पुत्र चन्दकी निवासी ग्राम बसारा, सदरसंगरूर, तहसील मूणक जिला संगरूर, पंजाब।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

दिनांक-02.10.2025 स्थान-देहरादून-अंबाला/चण्डीगढ़ हाइवे, ग्रेड सेवन होटल से 100 कदम आगे यमुनानगर की ओर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

कुल बरामदगी -

1. 10 किलो 104 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 01 करोड़ रुपये)।
2. 01 टाटा ट्रक
3. 04 अदद मोबाइल फोन
4. 4,250/- रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ए.एन.टी.एफ. थाना सहारनपुर।

1. उ0नि0 श्री अवधेश, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
3. आ0 अंकित कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
4. आ0 सूरज देशवाल, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
5. आ0 नगेन्द्र यादव, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

पुलिस टीम कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

1. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी था कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 धर्मवीर कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 हरकेश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 किलो 30 ग्राम अवैध MDMA (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड़ रुपये), 05 अदद मोबाइल फोन व 02 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्करों (1) अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी खिजिरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर (2) कौस्तुभ मणि दुबे पुत्र रामदरश दुबे निवासी ग्राम बसन्त पट्टी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर (3) रितेश यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी ग्राम चांदपुर थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर (4) अभिषेक सिंह पुत्र राजन सिंह निवासी ग्राम बसन्तपट्टी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से 01 किलो 30 ग्राम अवैध MDMA (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड़ रुपये), 05 अदद मोबाइल फोन व 02 अदद मोटर साइकिल बरामद कर, गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर में मु0अ0सं0 428/2025 धारा 8/22/29/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों गणों ने पूछताछ में बताया कि यह MDMA एक व्यक्ति ने उन लोगों को दिया था और कहा था कि वह लोग यह MDMA लेकर बदलापुर के पास जायेंगे जहाँ वह एक पार्टी को यह व्यक्ति भेजेगा, जो इन लोगों से MDMA ले लेगी व इन लोगों को एक बैग में नगद रुपया देगी। यह लोग इस MDMA को उस पार्टी को बेचकर रुपया लेकर वापस आ आयेंगे। यह लोग इसी मोटर साइकिलों का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी में करते हैं। यह सभी लोग अधिक मुनाफा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं तथा मादक पदार्थों को बेच कर जो लाभ होता है उसे यह लोग अपनी ऐशो आराम की जिन्दगी व्यतीत करते हैं। आज यह लोग एन0डी0एम0ए0 उस पार्टी को बेचकर रुपया लेकर वापस जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी खिजिरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर (उ०प्र०)।
2. कौस्तुभ मणि दुबे पुत्र रामदरश दुबे निवासी ग्राम बसन्त पट्टी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर (उ०प्र०)।
3. रितेश यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी ग्राम चांदपुर थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर (उ०प्र०)।
4. अभिषेक सिंह पुत्र राजन सिंह निवासी ग्राम बसन्तपट्टी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर (उ०प्र०)।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

दिनांक: 02.10.2025 स्थान: मिरशादपुर ओवरब्रिज की सर्विस लेन ग्राम मिरशादपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

कुल बरामदगी:-

1. 01 किलो 30 ग्राम अवैध MDMA (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड रुपये)।
2. 05 अदद मोबाइल फोन
3. 02 अदद मोटर साइकिलर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ए०एन०टी०एफ० थाना बाराबंकी:-

1. उ०नि० श्री कुलदीप शर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
3. उ०नि० श्री मनीष कुमार दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
4. हे०का० दीपक कुमार थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
5. हे०का० आदिल हाशमी थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
6. हे०का० वेदप्रकाश दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
7. हे०का० आलोक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
8. हे०का० मो० मकसूद आलम थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
9. हे०का० कौशल कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
10. का० अभिषेक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।

सहयोगार्थ टीम:- थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर।

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 मोबाइल फोन
 - 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 02.10.2025 को थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जगजीवनपुर नहर तिराहा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आदिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आदिल निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन।

2—01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 38 हजार 350 रुपये नगद
- 16 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के
- चोरी की 01 मोटर साइकिल
- घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद

दिनांक: 03.10.2025 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—नाजिम अली 2—दिलशाद 3—शादाब को गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 38 हजार 350 रुपये नगद, 16 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के, चोरी की 01 मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विभिन्न एटीएम बूथों पर जाकर लोगों से धोखाधड़ी करके एटीएम, पास वर्ड चुराकर अन्य बूथों पर जाकर रुपये निकाल लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम अली के विरुद्ध कमिशनरेट प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी के विभिन्न थानों पर लूट, धोखाधड़ी आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त दिलशाद के विरुद्ध लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—नाजिम अली निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2—दिलशाद निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
- 3—शादाब निवासी ग्राम ननईया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

- 1—धोखाधड़ी के 38 हजार 350 रुपये नगद।
- 2—16 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के।
- 3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।
- 4—घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन।

जनपद मुरादाबाद/थाना पाकबड़ा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
- 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 03.10.2025 को थाना पाकबड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—सरकार हुसैन 2—जहरूल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरकार हुसैन निवासी ग्राम भोला नगला थाना टाण्डा जनपद रामपुर हाल निवासी कस्बा व थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद।

2—जहरूल निवासी कस्बा व थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—01 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➤ जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को आजीवन कारावास व 03 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।